

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु (राज.)

क्रमांक : 1(जी)(1)स्था./2025 / 150

दिनांक : 30.07.2025

कार्यालय आदेश

चूरु न्याय क्षेत्र में राजकीय अवकाशों के दौरान बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु माह अगस्त, 2025 के लिये निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती है:-

-: माह अगस्त, 2025 :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	ड्यूटी दिनांक
1.	श्रीमती नीलम मीणा	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़	8769612580	03.08.2025
2.	श्री मयंक मीणा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़	8233403768	09.08.2025 एवं 10.08.2025
3.	सुश्री शिवानी	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु	8168319771	15.08.2025, 16.08.2025 एवं 17.08.2025
4.	श्रीमती सरिता कायथ	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीदासर	82091-69064	23.08.2025 एवं 24.08.2025
5.	श्री विकास गजराज	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	8233889051	31.08.2025

1. इन राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त चूरु न्यायक्षेत्र के लिए **श्री नवदीप, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर** (मोबाईल नंबर 8239114104) की ड्यूटी लगायी जाती है।
2. यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हों तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
3. उपरोक्त आदेश में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा परंतु अत्यावश्यक कार्य होने पर संबंधित अधिकारी को अन्य न्यायिक अधिकारी से सहमति प्राप्त करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में रिमांड ड्यूटी का परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा।
4. इस आदेश को पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक प्रभावी माना जायेगा।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
कार्यालय-जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज.)
दिनांक : 30.07.2025

क्रमांक : स्था./2025 / 6446-50

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु।
2. पुलिस अधीक्षक, चूरु को समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
3. जिला आबकारी अधिकारी, चूरु को समस्त आबकारी वृत्तों को सूचित करने हेतु।
4. संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को जरिये ई-मेल।
5. सिस्टम ऑफिसर, अ.हाजा को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
कार्यालय-जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज.)